

रीख हुक्म

न.प. संख्या १०८/२०२५

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2025/242 (१०/२०२५)

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामील
में जारी हुए

24/9/24

पगावली पत्रा दुई वकील प्रार्थी अनु।
वकील प्रार्थी को रेखाजोड की तलबी हेतु प्रशासकीय
पत्रा करने हेतु पर्याप्त अवसर व हिदायत सिधे जाने
के उपरान्त भी आदिनांक तक पत्रा नही लीमे है।
वकील प्रार्थी को अन्तिम अवसर इस हिदायत के
साथ दिया जाता है कि अज्ञातीना की तलबी हेतु
प्र नोटिस आवरणक रूप से पत्रा करे अन्यथा
सकपलीय कार्यवाही अदालत में लगे जावेगी। पगावली
दिनांक 8/10/24 को पत्रा हो।

अति. जिला कलेक्टर पाली

8/10/24

पगावली पत्रा दुई वकील प्रार्थी अनु।
वकील प्रार्थी लम्बे समय से अज्ञातीना की तलबी हेतु
प्र नोटिस पत्रा नही कर रहे हैं। वकील प्रार्थी को
नोटिस पत्रा करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर भी सिधे
जा चुके हैं। वकील प्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित
होने हेतु बार-बार आवाजे लगायी जाने के उपरान्त
भी वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। ऐसी दिवसों
में जैसे किशानी वकील प्रार्थी की गैर धजरी में अदम
पेशबी - अदम धजरी में खारिज की जाती है। पगावली
कैसल अफार होकर इस न्यायालय के नाकर से
कर हो।

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)